रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1477] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 29, 2019/वैशाख 9, 1941
No. 1477] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 29, 2019/VAISAKHA 9, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2019

का.आ. 1661(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 सितंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2159(अ) के तहत जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश, शिमला को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका अनुसूचित अपराधों के विचारण हेतु संपूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर क्षेत्राधिकार होगा;

और जबकि, श्री वीरेन्द्र सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिमला जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 16 मई, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 1575(अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 16 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1575(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर एतद्द्वारा श्री राजीव भारद्वाज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिमला को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11011/02/2019-एनआईए(भाग-I)]

पीयूष गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2019

S.O. 1661(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 2159(E) dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of District and Sessions Judge, Shimla, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Himachal Pradesh for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Virender Singh, District and Sessions Judge, Shimla, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 1575(E) dated the 16th May, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 1575(E) dated the 16th May, 2017, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, High Court of Himachal Pradesh, hereby appoints Shri Rajeev Bhardwaj, District and Sessions Judge, Shimla, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 11011/02/2019/NIA(Part-I)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2019

का.आ. 1662(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 27 जुलाई, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2556(अ) के तहत विजयवाड़ा में कृष्णा के II अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय-सह-मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश, विजयवाड़ा को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका अनुसूचित अपराधों के विचारण हेतु संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य पर क्षेत्राधिकार होगा;

और जबकि, श्री जी.वी. सुब्रमण्यम, मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश-सह-II अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विजयवाड़ा जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 27 जुलाई, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 3682(अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 27 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3682(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर एतद्द्वारा श्री बी.वी.एल.एन. चक्रवर्ती, III अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विजयवाड़ा को मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश-सह-II अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विजयवाड़ा के रूप में, उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11011/02/2019/एनआईए(भाग-I)]

पीयूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2019

S.O. 1662(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 2556(E) dated the 27th July, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of II Additional District and Sessions Judge, Krishna at Vijayawada-cum-Metropolitan Sessions Judge, Vijayawada, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Andhra Pradesh for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Sri G.V. Subramanyam, Metropolitan Sessions Judge-cum-II Additional District and Sessions Judge, Vijayawada, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 3682(E) dated the 27th July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 3682(E) dated the 27th July, 2018, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, High Court of Andhra Pradesh, hereby appoints Sri B.V.L.N. Chakravarthy, III Additional District & Sessions Judge, Vijayawada, as Metropolitan Sessions Judge-cum-II Additional District and Sessions Judge, Vijayawada, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 11011/02/2019/NIA(Part-I)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.04.29 19:33:09 +05'30'